

फदे अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत .. उपखण्ड .. जिला-दौसा .. सिकराय ..

..... धीतरमल .. बनाम .. हरीश कुमार ..

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 192/116

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30 ⁵ / ₁₈	<p>पत्रावली लोक अदालत कैंप राजौली में पेश हुई। प्रपिनापत्र अर्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया पत्रावली का अर्किलेन किया। प्राधीन का अपम दृष्टया केश सावित नहीं है। प्राधीन को कोई अपूरणीय क्षति की सूरा नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्राधीन वे फल में नहीं है। अतः प्राधीन का प्रपिना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम है। निर्णय मेरे हाथ लोक अदालत कैंप राजौली में सुनाया जा कर लिखाया गया।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा</p>	